



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 638 राँची, शुक्रवार 6 भाद्र 1937 (श०)
28 अगस्त, 2015 (ई०)

उत्पाद एवं मध निषेध विभाग

संकल्प

24 अगस्त, 2015

विषय:- राजस्व संवर्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं मदिरा के उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त मदिरा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मदिरा के बोतलों/सैंचेटस/कैनस पर चिपकाये जानेवाले एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति, मनोनयन के आधार पर लब्धप्रतिष्ठित प्रतिष्ठान भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र से प्राप्त करने के संबंध में ।

संख्या- 1/नीति-40-1/2013 (खण्ड) 1848-- राजस्व संवर्धन, अवैध मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड उत्पाद (होलोग्राम) नियमावली, 2011 का गठन किया गया था । इस नियमावली के तहत होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए विभाग द्वारा दो बार निविदा प्रकाशित की गई थी, परन्तु निविदा की प्रक्रिया को दोनों बार निरस्त करना पड़ा। इसी बीच भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र द्वारा एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्ति करने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्तमान में एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल पंजाब राज्य के उत्पाद विभाग को आपूर्ति की जा रही है तथा यदि झारखण्ड राज्य भी एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से

आपूर्ति प्राप्त करने का निर्णय करता है, तो वे एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं ।

दिनांक 24 मार्च, 2015 को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रबन्धक (तकनीकी) के साथ विभागीय पदाधिकारियों एवं एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के संबंध में तकनीकी रूप से विशेष ज्ञान रखनेवाले वैज्ञानिक डा० मनीष कुमार के साथ बैठक की गई। बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि के द्वारा झारखण्ड राज्य को सुरक्षा मानकों से युक्त एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति हेतु आश्वस्त किया गया । साथ ही भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सभी एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल, नासिक रोड, महाराष्ट्र स्थित उनके सिक्यूरिटी प्रेस में ही मुद्रण कराया जाएगा ताकि अधिकतम गोपनीयता रखी जा सके ।

अतः उक्त के आलोक में उत्पाद राजस्व संवर्धन, अवैध शराब बिक्री की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक के उद्देश्य से देशी शराब मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के बोतलों/सैचेटस/कैनस पर एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु निम्न प्रकार से राज्य सरकार ने निर्णय लिये हैं :-

1- राजस्व हित, मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245 के अधीन वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुये मनोनयन के आधार पर भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व), नासिक रोड, महाराष्ट्र से झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जानेवाले बोतलों/सैचेटस/कैनस पर एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु प्राप्त किया जाए।

2- झारखण्ड उत्पाद होलोग्राम (संशोधित) नियमावली, 2014 को शिथिल करते हुए 'भारत प्रतिभूति मुद्रणालय' से एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त किया जाए ।

3- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा निर्मित एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को झारखण्ड राज्य में देशी शराब, मसालेदार देशी शराब एवं विदेशी शराब के थोक बिक्री के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त अनुज्ञाधारी (झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा मूल्य का भुगतान भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा ।

4- भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन), नासिक रोड, महाराष्ट्र के माध्यम से एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्राप्त करने तथा इसके मदिरा के बोतलों पर चिपकाये जाने की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

(i) इस व्यवस्था के तहत भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को की जाएगी, तदुपरान्त झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकाने के लिए सभी वितरकता अनुज्ञासिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञासिधारी को उनके माँग के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी। वितरकता अनुज्ञासिधारी एवं अनन्य/विशेष विशेषाधिकार अनुज्ञासिधारी स्वयं के जोखिम पर इसे अपने विनिर्माणशाला में भेजकर मदिरा के बोतल/सैचेट/कैन पर चिपकवा सकेंगे ।

(ii) एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों के निर्धारण हेतु इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस के पदाधिकारी एवं विभाग द्वारा गठित तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की बैठक आयुक्त उत्पाद की अध्यक्षता में की जाएगी। तकनीकी विशिष्टियों के संबंध में आयुक्त उत्पाद का निर्णय अंतिम होगा। समय-समय पर विभाग द्वारा एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के परामर्श के अनुरूप एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। इसी बैठक में एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का अंतिम मूल्य भी निर्धारण किया जायेगा।

(iii) एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के सुरक्षित रख-रखाव के लिए झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अलग से 'एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार' किराये पर अथवा किसी अन्य व्यवस्था के तहत जिसे प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड उचित समझें, स्थापित किया जाएगा। यह भण्डागार झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक स्तर के पदाधिकारी एवं अवर निरीक्षक उत्पाद से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के संयुक्त प्रभार में रहेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में दोहरे ताले की व्यवस्था रहेगी, जिसमें एक ताला विभागीय प्रभारी पदाधिकारी एवं एक ताला डिपो प्रबन्धक का रहेगा। भण्डागार में सुरक्षा की व्यवस्था हेतु झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से सम्बद्ध सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा की जाएगी। झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा जिला पुलिस से जिला सशस्त्र बल (1 + 4) की प्रतिनियुक्ति करायी जाएगी एवं इस संबंध में आवश्यक खर्च का भुगतान झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के भण्डागार के सुचारू रूप से संचालन हेतु कर्मियों की नियुक्ति झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाएगी।

(iv) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन), नासिक रोड, महाराष्ट्र को झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपूर्ति आदेश दिये जाने पर करार-पत्र में अंकित समयावधि के अन्दर झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाएगी। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के नासिक स्थित मुद्रणालय से एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो प्रबन्धक को प्राधिकृत किया जाएगा। आपूर्ति प्राप्त करने के पूर्व, मार्ग में एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सुरक्षा व्यवस्था हेतु झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा जिला सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से सुनिश्चित करायी जाएगी। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से प्राप्त एक्सआईज एडेसिव लेबल का सुरक्षित भण्डारण झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में प्रतिनियुक्त विभागीय उत्पाद पदाधिकारी एवं डिपो प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

(v) नासिक स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति का मूल्य झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भुगतान किया जाएगा। नासिक से झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्सआईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार तक का आवश्यक परिवहन एवं अन्य अनुमान्य खर्च भी झारखण्ड राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वहन किया जाएगा। एक्सआईज

एडेसिव (आसंजक) लेबल का आपूर्ति मूल्य, इसके परिवहन एवं भण्डारण से संबंधित खर्च सहित को, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों से इनके द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आवश्यकता की अधियाचना पत्र के साथ ही अग्रिम रूप से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा ।

(vi) नासिक स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में, झारखण्ड राज्य में बिक्री किये जानेवाले मदिरा बोतलों/सैचेटस/कैनस के ऊपर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने हेतु समुचित मात्रा (कम-से-कम चार महीने तक की आपूर्ति हेतु आकलित) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को रखना आवश्यक होगा। झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सदैव एक महीने के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का स्कन्ध शेष रहते ही अगले चार माह के लिए एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से प्राप्त कर लेगा।

(vii) वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों को एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन, एक्साईज एडेसिव लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एवं प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से, किया जाएगा। अपवाद स्वरूप जब एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए नासिक जायेंगे तब केवल एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के हस्ताक्षर से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन दिया जा सकेगा। वितरक अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की विनिर्माणशाला में आपूर्ति हेतु अधियाचना प्राप्त होने पर डिपो प्रबन्धक, प्रभारी पदाधिकारी एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार दो कार्य दिवस के अन्दर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति सुनिश्चित कर देंगे ।

(viii) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार से, एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटो युक्त पहचान पत्र, एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक को समर्पित करेंगे। प्रत्येक वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर डिपो प्रबन्धक को समर्पित करेगा, ताकि निर्गमन के पूर्व इसका मिलान किया जा सके। फोटो एवं हस्ताक्षर से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन दिया जाएगा। वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी किसी एक ही व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। प्राधिकृत प्रतिनिधि के बदले जाने हेतु महाप्रबन्धक (संचालन), झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का अनुमति आवश्यक होगा ।

(ix) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के भण्डागार से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्गमन प्राप्त करने के उपरान्त इसकी पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी की होगी। एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को बोतलों पर चिपकाने

के लिए प्राप्त किये गये एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की संख्या का कुल एक प्रतिशत ही क्षति अनुमान्य होगा। इससे अधिक की क्षति होने पर मदिरा की अधिकतम माप की भराई वाली बोतलों/सैचेटस/कैन के अनुसार एल0पी0लीटर अथवा बल्क लीटर की दर से अनुमान्य उत्पाद कर की राशि क्षति स्वरूप अधिरोपित किया जाएगा।

एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाने के क्रम में हुई क्षतिग्रस्त एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल को वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी के द्वारा संग्रहित किया जाएगा एवं इसे एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल का अगला निर्गमन प्राप्त करने के पूर्व झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को पूर्ण विवरणी के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल को आयुक्त उत्पाद की अनुमति प्राप्त कर महाप्रबन्धक (संचालन) के समक्ष एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार के डिपो प्रबन्धक एवं प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जलाकर विनष्ट किया जाएगा ।

(x) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारियों को मदिरा की आपूर्ति हेतु सभी बोतलों/सैचेटस/कैनस पर चिपकाने की कार्रवाई वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों की होगी। इनके द्वारा प्रत्येक प्रकार के माप के बोतलों एवं मदिरा के लिए निर्धारित विभिन्न विशिष्टियों एवं रंगों वाले एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल को चिपकाया जाएगा। एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल के रंग एवं माप के संबंध में निर्णय आयुक्त उत्पाद के द्वारा अलग से आदेश निर्गत करके किया जाएगा, जिसे समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा ।

(xi) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के द्वारा विभाग द्वारा, निर्धारित एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की तकनीकी विशिष्टियों एवं शर्तों के अनुरूप एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति की जाएगी ।

(xii) एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्तिकर्ता (भारत प्रतिभूति मुद्रणालय) को एक वित्तीय वर्ष के लिए एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल आपूर्ति की अनुमति प्रदान की जा सकेगी तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अतिरिक्त अवधि विस्तार की जा सकेगी। अवधि विस्तार के संबंध में विभाग द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा ।

(xiii) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय से प्राप्त एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल का वितरकता अनुज्ञाधारियों एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति का मूल्य आयुक्त उत्पाद की सहमति के उपरान्त झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(xiv) वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारी, एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल का निर्धारित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से बनाएगा अथवा आर0टी0जी0एस0 के द्वारा इसका भुगतान उनके द्वारा किया जाएगा।

(xv) एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल के एक रील अथवा शीट में कितना एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल रखा जाएगा का निर्धारण समय-समय पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा तथा आपूर्तिकर्ता के द्वारा एक्सार्इज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति रील अथवा शीट की संख्या के गुणक में किया जाएगा। इसी प्रकार वितरकता अनुज्ञाधारी एवं अनन्य/विशेष विषेशाधिकार अनुज्ञाधारियों के द्वारा झारखण्ड राज्य

बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार से एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की माँग रील/शीट की संख्या के गुणक में ही की जाएगी।

(xvi) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल को प्राप्त करने, उसके समुचित रख-रखाव, सुरक्षा, आपूर्ति एवं अन्य दैनिक विषयों के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सामान्य निदेश/अनुदेश जारी कर सकेंगे ।

(xvii) बोतलों के ढक्कन पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि आधा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल ढक्कन एवं आधा बोतल पर लगा रहे। सैचेट एवं कैन पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि उक्त एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल मदिरा के उपभोक्ता को दृष्टि सुलभ हो साथ ही मुख्य लेबल पर न हो।

(xviii) आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के निर्माण, रख-रखाव, संग्रह, उपयोग, परिवहन तथा सुरक्षा एवं अन्य कोई विषय जो आयुक्त उत्पाद उचित समझें के संदर्भ में विशेष निर्देश/अनुदेश अथवा स्थायी आदेश जारी किये जा सकेंगे तथा आपूर्तिकर्ता एवं आपूर्ति प्राप्तकर्ता को इसका अनुपालन करना होगा ।

(xix) विशेष परिस्थिति में (अपवाद स्वरूप) एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की आपूर्ति बाधित होने पर आयुक्त उत्पाद बिना एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के भी मदिरा के बोतलों/सैचेटस/कैन की आपूर्ति की अनुमति राजस्व हित में दे सकेंगे।

(xx) झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल भण्डागार में एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के संधारण हेतु विविध प्रकार के प्रपत्रों एवं पंजियों का गठन आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा तथा समय-समय पर उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा। एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के रील अथवा शीट के परिवहन हेतु एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल रिमूभल पास के प्रपत्र का गठन भी आयुक्त उत्पाद के द्वारा किया जाएगा।

(xxi) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल की सामयिक आपूर्ति न करने अथवा विशिष्टियों के अनुरूप एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल प्रेषित नहीं करने पर किसी समय कार्यादेश वापस लिया जा सकेगा।

(xxii) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय को एक्साईज एडेसिव (आसंजक) लेबल के परेषण का पूर्ण भुगतान परेषणी के स्थल पर पहुँचने के बाद किया जाएगा।

यह संकल्प झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतेन्द्र सिंह,

सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 638--50 ।